बोलानी ओर्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1978

(1978 का अधिनियम संख्यांक 42)

[8 दिसम्बर, 1978]

राष्ट्र की आवश्यकताओं को और अच्छी तरह पूरा करने के लिए तथा जनसाधारण के हित में राष्ट्रीय इस्पात उद्योग की उन्नति और विकास को सुकर बनाने के लिए लोकहित में बोलानी ओर्स लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

मुख्यत: दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को अयस्कों के प्रदाय के लिए जून, 1957 में बोलानी ओर्स लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था ;

उक्त बोलानी ओर्स लिमिटेड की शेयर पूंजी में 50.5 प्रतिशत शेयर, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, जो पूर्णत: सरकार के स्वामित्व वाली एक कम्पनी है, द्वारा धारित हैं और शेष 49.5 प्रतिशत शेयर उड़ीसा मिनरल्स डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित हैं ;

उक्त बोलानी ओर्स लिमिटेड को वर्ष 1977-78 के अन्त में दो करोड़ सत्तर लाख रुपए तक की आकलित हानि उठानी पड़ी है और उक्त बोलानी ओर्स लिमिटेड को अपने उपक्रम की संक्रियाओं को चलाने के लिए निधि की अत्यावश्यकता है ;

और उड़ीसा मिनरल्स डेवेलपमेंट कम्पनी बोलानी ओर्स लिमिटेड की शेयर पूंजी में कोई अतिरिक्त राशि अभिदत्त करने के लिए रजामन्द नहीं है ;

और बोलानी ओर्स लिमिटेड दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लोह अयस्कों के प्रदाय का मुख्य स्रोत है तथा पूंजी परिव्यय के जरिए अतिरिक्त सारवान् विनिधानों के बिना या अन्यथा उक्त संयंत्र को लोह अयस्कों का प्रदाय बनाए नहीं रखा जा सकता है ;

और लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त बोलानी ओर्स लिमिटेड के शेयरों का अर्जन कर लिया जाए ;

भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बोलानी ओर्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1978 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;

(ख) "बोलानी ओर्स लिमिटेड" से, बोलानी ओर्स कम्पनी लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है तथा जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता में है ;

(ग) "कम्पनी अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है ;

(घ) "विघटित कम्पनी" से, धारा 6 के आधार पर विघटित बोलानी ओर्स लिमिटेड, अभिप्रेत है ;

(ङ) "कम्पनी" से उड़ीसा मिनरल्स डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है, तथा जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल में चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता में है ;

(च) "स्टील अथारिटी आफ इंडिया" से स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है ।

(2) धारा 14 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कम्पनी अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

बोलानी ओर्स लिमिटेड के शेयरों का अर्जन और अन्तरण

3. कम्पनी द्वारा धारित शेयरों का केन्द्रीय सरकार में निहित होना—(1) नियत दिन को, इस अधिनियम के आधार पर बोलानी ओर्स लिमिटेड की शेयर पूंजी में कम्पनी द्वारा धारित सभी शेयर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हुए सभी शेयर, ऐसे निहित होने के बल पर, सभी न्यासों, दायित्वों, बाध्यताओं, बंधकों, भारों, धारणाधिकारों और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगे और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की कोई ऐसी कुर्की या व्यादेश या कोई ऐसी डिक्री या आदेश जो ऐसे किन्हीं शेयरों के उपयोग को किसी प्रकार निर्बन्धित करता है, वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

4. कंपनी को रकम का संदाय—(1) बोलानी ओर्स लिमिटेड में कंपनी द्वारा धारित शेयर, धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाने के लिए केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से तीस दिन के भीतर, कंपनी को उनचास हजार पांच सौ रुपए की रकम नकद देगी ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम, कंपनी को संदाय करने में असफल रहती है वहां केन्द्रीय सरकार उक्त रकम पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज नियत दिन से लेकर संदाय किए जाने की तारीख तक के लिए, देगी ।

5. स्टील अथारिटी आफ इंडिया को शेयरों का आबंटन—(1) बोलानी ओर्स लिमिटेड में कंपनी द्वारा धारित सभी शेयर जो धारा 3 के आधार पर केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, इस प्रकार निहित हो जाने के ठीक बाद, स्टील अथारिटी आफ इंडिया को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे शेयरों के लिए जो उपधारा (1) के अधीन स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं, संदत्त रकम के बारे में यह समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ने वह रकम, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया की साधारण पूंजी में अभिदत्त की है और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया (यदि आवश्यक हो तो अपने ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में संशोधन करने के पश्चात्) केन्द्रीय सरकार को एक हजार रुपए अंकित मूल्य के उनचास पूर्ण समादत्त शेयर निर्गमित करेगा और उस सरकार को नकद पांच सौ रुपए देगा ।

अध्याय 3

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया में उपक्रमों का निहित होना तथा बोलानी ओर्स लिमिटेड का विघटन

6. स्टील अथारिटी आफ इंडिया में उपक्रमों का निहित होना तथा बोलानी ओर्स लिमिटेड का विघटन—नियत दिन को—

(क) बोलानी ओर्स लिमिटेड के, जिसके शेयर धारा 5 के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया में निहित हो गए हैं, सभी उपक्रम, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को अंतरित और उसमें निहित हो जांएगे ;

(ख) बोलानी ओर्स लिमिटेड विघटित हो जाएगी ।

7. "उपक्रम" का अर्थ—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विघटित कंपनी के उपक्रमों की बाबत यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां (जिनके अन्तर्गत खनन पट्टे भी हैं) और औद्योगिक या अन्य अनुज्ञप्तियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि भवन, संकर्म, खानें, कर्मशालाएं, परियोजनाएं, भण्डार, उपकरण, मशीनरी, मोटर गाड़ी और अन्य यान, उपस्कर, नकद या बैंक अतिशेष, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान और बही-ऋण तथा ऐसी सम्पत्ति से उद्भूत होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विघटित कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे, और तत्संबंधी सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, मान-चित्र, रेखांक, सर्वेक्षण-अभिलेख और अन्य सभी प्रकार की दस्तावेजें हैं और यह भी समझा जाएगा कि विघटित कंपनी के सब उधार, दायित्व और बाध्यताएं, उनके अन्तर्गत हैं ।

अध्याय 4

अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बारे में उपबंध

8. विघटित कम्पनी के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबंध—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी में (उसके किसी उपक्रम के संबंध में) पद धारण करने वाला प्रत्येक अधिकारी (जो निदेशक नहीं है) या अन्य कर्मचारी नियत दिन से, धारा 6 के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इण्डिया में निहित उपक्रम की बाबत उक्त रूप में पद वैसी ही सेवाधृति के लिए तथा सेवा के वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर और सेवा निवृत्त फायदे की बाबत वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण किए

रहेगा जो उसे तब अनुज्ञेय होते जब ऐसी कम्पनी जिसमें वह पद धारण किए हुए था, विघटित न हुई होती, और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि ऐसी सेवाधृति तथा निबंधन और शर्तें स्टील अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उन अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, सेवा की शर्तों से संबंधित नियम और स्थायी आदेशों से, जैसे कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व थे, उन्हें तब तक लागू बने रहेंगे जब तक उन्हें स्टील अथारिटी आफ इण्डिया सम्यक्त: परिवर्तित नहीं कर देती ।

9. निदेशकों के बारे में उपबंध—नियत दिन से ठीक पूर्व किसी विघटित कम्पनी के निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस दिन से ऐसे निदेशक के पद पर नहीं रह जाएगा ।

10. लेखापरीक्षकों के बारे में उपबंध—किसी विघटित कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 619 के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पूर्व पद धारण किए हुए था, विघटित कम्पनी के ऐसे उपक्रमों के बारे में जो धारा 6 के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को अंतरित हो गए हैं, लेखापरीक्षक के रूप में ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए वह इस प्रकार नियुक्त किया गया था तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो उसे नियत दिन के ठीक पूर्व लागू थे, पद धारण किए रह सकेगा ।

11. निदेशक आदि का प्रतिकर के लिए हकदार न होना—(1) उस समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 197क में विनिर्दिष्ट कोई निदेशक या प्रबन्धकार व्यक्ति अथवा विघटित कम्पनी के उपक्रमों के सम्पूर्ण कारबार और क्रियाकलाप के या उसके सारवान् भाग के प्रबंध के लिए किसी विशेष करार के अधीन या अन्यथा हकदार ऐसा अन्य व्यक्ति, विघटित कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के विरुद्ध किसी पद की हानि के लिए या विघटित कम्पनी और उसके बीच हुई किसी प्रबंध संविदा की समय-पूर्व समाप्ति के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, चाहे ऐसी हानि या समाप्ति इस अधिनियम के उपबंधों के कारण हुई थी या नहीं ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 की उपधारा (1) के उपबंध, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उस अधिनियम के या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएंगे और ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

12. भविष्य-निधि—जहां विघटित कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए कोई भविष्य-निधि स्थापित की है और वह किसी न्यास में निहित हो गई है, वहां ऐसी भविष्य निधि में जमा धनराधियां और अन्य आस्तियां न्यास में उन्हीं उद्देश्यों के लिए धारित बनी रहेंगी जो नियत दिन के ठीक पूर्व न्यासों को लागू थे और नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे न्यासों के कृत्यकारी न्यासी, न्यास-विलेखों के और ऐसे न्यासों से संबंधित नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विघटित कम्पनी के ऐसे उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 6 के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इण्डिया में निहित हो गए हैं, चलाई जाने वाली ऐसी भविष्य-निधि की बाबत, न्यासियों के रूप में उसी प्रकार कार्य करते रहेंगे मानो वह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो :

परन्तु न्यासियों को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार और विघटित कम्पनी में निहित न्यास से संबंधित अन्य अधिकार, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया में निहित हो जाएंगे ।

13. उपदान, कल्याण-निधि और अन्य निधियां—जहां विघटित कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए कोई उपदान, कल्याण-निधि या अन्य निधि स्थापित की है और वह नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान है, वहां ऐसे उपदान, कल्याण-निधि या अन्य निधि में जमा या उससे सम्बद्ध सभी धनराशियां और अन्य आस्तियां, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया में निहित हो जाएंगी ।

अध्याय 5

वित्तीय उपबन्ध

14. आय-कर और अतिकर की बाबत उपबंध—(1) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी कोई धनराशि उसी रीति से और उसी विस्तार तक संदत्त करने के दायित्वाधीन होगी जो विघटित कम्पनी उस दशा में संदत्त करने के दायित्वाधीन होती जब उसका विघटन न हुआ होता ।

(2) विघटित कम्पनी की, यथास्थिति, आय या प्रभार्य लाभों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए और उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई धनराशि उद्गृहीत करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) नियत दिन के पूर्व विघटित कम्पनी के विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा है कि वह स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के विरुद्ध की गई है और वह स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के विरुद्ध उस प्रक्रम से, जिस पर वह नियत दिन के ठीक पूर्व थी, जारी रखी जा सकेगी ;

(ख) ऐसी कोई कार्यवाही, जो विघटित कम्पनी के विरुद्ध तब की जा सकती थी जब उसका विघटन न हुआ होता, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के विरुद्ध की जा सकेगी ;

(ग) यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(3) विघटित कम्पनी के पूर्ववर्ष की, नियत दिन तक की, यथास्थिति, आय या प्रभार्य लाभों का निर्धारण ऐसे किया जाएगा मानो ऐसा विघटन नहीं हुआ था और आय-कर अधिनियम या, यथास्थिति, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम के उपबंध यावत्शक्य तद्नुसार लागू होंगे ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विघटित कम्पनी के उपक्रमों का स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को अंतरण और उसमें उनके निहित होने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विघटित कंपनी और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया का समामेलन है और आय-कर अधिनियम के उपबंध, यावत्शक्य, तद्नुसार ऐसे लागू हों मानो उक्त अधिनियम में समामेलक कम्पनी और समामेलित कम्पनी के प्रति निर्देश, क्रमश:, विघटित कम्पनी और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के प्रति निर्देश है ।

(5) विघटित कम्पनी की संचित हानि और अनामेलित अवक्षयण, यदि कोई है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें उपधारा (4) में निर्दिष्ट समामेलन हुआ है, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया की, यथास्थिति, हानि या अवक्षयण मोक है और आय-कर अधिनियम के वे उपबन्ध जो हानि और अवक्षयण मोक के मुजरा और अग्रनयन से संबंधित हैं, तद्नुसार लागू होंगे ।

(6) उपधारा (1) से उपधारा (5) तक के उपबन्ध, आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम" से कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के जो इस धारा में प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियमों में हैं ।

15. असंदेय कर, फीस और अन्य प्रभार—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शेयरों के किसी अन्तरण अथवा किसी उपक्रम के अंतरण या किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के बारे में किसी भी प्रकार का कोई कर, शुल्क, फीस या अन्य प्रभार (जिनके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रभार भी हैं) संदेय नहीं होगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

16. संपत्ति आदि का कब्जा देने का कर्तव्य—(1) जहां विघटित कंपनी के किसी उपक्रम से संबंधित कोई सम्पत्ति स्टील अथारिटी आफ इंडिया को अंतरित कर दी गई है और उसमें निहित कर दी गई है वहां—

(क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई ऐसी सम्पत्ति है, स्टील अथारिटी आफ इंडिया द्वारा मांग की जाने पर उस सम्पत्ति को, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को तुरन्त देगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में विघटित कंपनी के किसी उपक्रम से संबंधित कोई बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागज-पत्र इस प्रकार निहित किए जाने के ठीक पूर्व हैं, उन बहियों, दस्तावेजों और कागज-पत्रों का लेखा-जोखा, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को देने के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे स्टील अथारिटी आफ इण्डिया उस निमित्त प्राधिकृत करे, परिदत्त करेगा ।

(2) इस धारा के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन सभी संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जो इस अधिनियम के अधीन उसको अंतरित और उसमें निहित हो गई हैं ।

17. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) विघटित कंपनी की भागरूप किसी सम्पत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) विघटित कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) विघटित कम्पनी के किसी उपक्रम से सम्बन्धित किन्हीं बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, स्टील अथारिटी आफ इंडिया या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे परिदत्त करने में असफल रहेगा ; या

(घ) विघटित कम्पनी के किसी उपक्रम से सम्बन्धित किन्हीं आस्तियों, लेखाबहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियत्रंण में हैं, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करने में असफल रहेगा ; या

(ङ) विघटित कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा ; या

(च) विघटित कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का सदोष प्रयोग करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

18. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरादायी था और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध का निवारण करने लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकरी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकार भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएंगा, और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

19. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार के अथवा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

20. अपराधों का संज्ञान—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा ।

21. संविदाओं आदि की व्यावृत्ति—ऐसी सभी संविदाएं, लेख, बंधपत्र, करार तथा अन्य लिखतें, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जिनमें विघटित कम्पनी एक पक्षकार है और जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान हों या प्रभावशील हों, यथास्थिति, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के विरुद्ध या उसके पक्ष में उस दिन से ही पूर्णत: बलशील और प्रभावशील होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विघटित कम्पनी के बजाय स्टील अथारिटी आफ इंडिया उसकी एक पक्षकार थी ।

22. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति—यदि किसी विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, माध्यस्थम्, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, नियत दिन को विचाराधीन है तो विघटित कम्पनी के उपक्रमों का अन्तरण हो जाने के कारण अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या किसी भी प्रकार उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, माध्यस्थम्, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, स्टील अथारिटी आफ इंडिया द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक चालू रखी जा सकेगी, संचालित और प्रवृत्त की जा सकेगी जिस रीति से और जिस सीमा तक वह, यदि अधिनियम पारित नहीं हुआ तो, उस विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जाती, संचालित और प्रवृत्त की जाती या चालू रखी जा सकती थी, संचालित और प्रवृत्त की जा सकती थी ।

23. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के निदेशक बोर्ड द्वारा विघटित कम्पनी के लेखे को अंगीकृत किया जाना—(1) नियत दिन को विघटित कम्पनी के लेखे बन्द हो जाएंगे और नियत दिन तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए उसका तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखे कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार और लेखा परीक्षित किए जाएंगे ।

(2) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के निदेशक बोर्ड को विघटित कम्पनी का निदेशक बोर्ड समझा जाएगा तथा स्टील अथारीटी आफ इण्डिया के शेयर धारकों को इस संबंध में और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, विघटित कम्पनी का शेयर धारक समझा जाएगा ।

24. विघटित कम्पनी से संबंधित दस्तावेजों का अंतरण—(1) कम्पनी रजिस्ट्रार, जिसके यहां विघटित कम्पनी रजिस्ट्रीकृत है, नियत दिन के पश्चात्, यावत्शक्य शीघ्र विघटित कम्पनी से संबंधित सभी दस्तावेज कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को अन्तरित करेगा ।

(2) कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली, विघटित कम्पनी से संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति पर ऐसे दस्तावेजों को, उसके द्वारा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के सम्बन्ध में रखी गई फाइल में जोड़ देगा और विघटित कम्पनी से सम्बन्धित फाइलों और स्टील अथारिटी आफ इंडिया से सम्बन्धित फाइलों को समेकित करेगा और विघटित कम्पनी द्वारा फाइल की गई दस्तावेजें, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए, विघटित कम्पनी के, जो धारा 6 के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया को अन्तरित और उसमें निहित हो गई हैं, उपक्रमों के कारबार के संबंध में स्टील अथारिटी आफ इंडिया द्वारा फाइल की गई समझी जाएंगी ।

25. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

26. अधिनियम का अन्य विधियों के उपबन्धों पर अध्यारोही होना—इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबन्ध, कम्पनी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी नियम या विनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

27. संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद का संशोधन करने की शक्ति—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में या दोनों में संशोधन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में स्टील अथारिटी आफ इंडिया के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में किया गया कोई संशोधन कम्पनी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा ।

28. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———